

13-11-21

परिवारी 2

का कुशल

~~परिवारी 2~~

परिवारी 2

पञ्जावली प्रशासन गांव के लोग अधिकांश-2004  
 केस में बेलगांव से पैदा हुई वादी के पास  
 विरुद्ध परिवारों का हान कवन के साथ पैदा  
 किया कि ग्राम हजोतिया वल. डीगोड जिला  
 कोटा से. ख. रं. 51 रकबा 3.94 है; ख. रं.  
 64 रकबा 5.60 है, ख. रं. 801 रकबा 0.85 है  
 ख. रं. 559 रकबा 0.83 है, कुल पकिया की  
 10.62 है भूमि परिवारी रं. 1 के खंड में डी  
 गली आ रही है। उपरोक्त भूमि वादी व परिवारों  
 की सुदृष्टी भूमि है। उक्त आरक्षित में वादी  
 व परिवारों के समान अधिकार प्राप्त हैं अभी  
 अनुमा? वादी व परिवारों  $\frac{1}{3} - \frac{1}{3}$  हिस्से में बांटा  
 करते चले आ रहे हैं। परन्तु वादी व परिवारों  
 का रजिस्ट्रार ऑफिस में नाम डी गली होने के  
 कारण सरकारी योजना व खास बीज बीज में  
 परेशानी उत्पन्न हो रही है। परिवारी रं. 1 शेरुड  
 में उपस्थित होकर वाद को डिफ्री करने के नोट  
 आपत्ति नहीं की इसका एक प्रारूप पत्र दिया।  
 वादी ने साक्षर के रूप में जमावली का प्रमाण  
 संभव-2008 को पैदा की।

अतः वाद वादी स्वीकार किभाजकट  
 आदेश दिया जाता है कि ग्राम हजोतिया की खंड  
 51 रकबा 3.94 है; ख. रं. 64 की 5.60 है; ख. रं.  
 801 की 0.85 है व ख. रं. 559 की 0.83 है  
 भूमि पर वादी व परिवारी रं. 2 को परिवारी  
 रं. 1 के साथ यह खंड 51 घोषित किया जाता  
 है व अनुमा? डिफ्री जागी है। पञ्जावली के मत  
 अनुमा? कोटिगत स्फुट है